न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 30/2019

प्रार्थी –

अणदाराम पुत्र पदमाराम जाति कुम्भार, निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत उण्डू
2. ताम्बलराम पुत्र खेताराम जाति मेघवाल, निवासी धीरजी की ढाणी तहसील शिव जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा सं. 42 दिनांक 15.09.1998 जो अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री हाकमसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश कुमार पूनड़, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्रों के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत उण्डू द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत ग्राम उण्डू में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 42 दिनांक 15.09.1998 जारी किया गया। इस पट्टा विलेख को जारी करने में में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, प्रामाणिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त निगरानी प्रार्थना इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत उण्डू का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के पुराने स्वामित्व व अधिपत्य के परिसर ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि का पट्टा राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त श्री विकास अधिकारी शिव द्वारा 1981 में जारी किया गया था। जिसका राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत द्वारा उप पंजीयक शिव में पंजीयन भी निगरानीकर्ता का कब्जा होने से करवाया गया था। निगरानीकर्ता के उक्त कब्जे के भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत उण्डू का अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में दिनांक 15.09.1998 को आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के द्वारा बनाये गये नियमों की पूर्ण पालना किये बिना, नियमों की अनदेखी करते हुए प्रार्थी के पुराने कब्जे व रहवास का जारी कर दिया हैं जो काबिल खारिज हैं।

4. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह भी प्रकट किया कि निगरानीकर्ता के पुराने स्वामित्व व अधिपत्य के परिसर ग्राम पंचायत उण्डू की आबादी भूमि का पट्टा राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त श्री विकास अधिकारी शिव द्वारा 1981 में जारी किया गया था। जिसका राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत ग्राम पंचायत द्वारा उप पंजीयक शिव में पंजीयन भी निगरानीकर्ता का कब्जा होने से करवाया गया और मौके पर कब्जा ठाव गिर जाने एवं एक झुम्पा मौजूद था। जिसे विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अन्य लोगो की मदद से जला दिया जिसका निगरानीकर्ता द्वारा फौजदारी प्रकरण पुलिस थाना शिव में दर्ज करवाया जो प्रकरण सी0 आर0 नम्बर 188 दिनांक 28.08.2019 दर्ज किया गया एवं प्रकरण का अनुसंधान चल रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा वास्तविक तथ्यों को छिपाकर ग[illegible] रू[illegible] प्रार्थी के भूखण्ड में जारी करवाया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने आलौच्य [illegible] कार्यवाही छुपे रूप से बिना निगरानीकर्ता की जानकारी में लाये अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर सम्पन्न कराई गई है जिसकी जानकारी प्रार्थी को होने से सम्यक तत्परता

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

से यह निगरानी पेश की गई है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलौच्य पट्टा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियमों की पूर्ण पालना किये बिना अनियमित रूप से जारी किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए आलौच्य पट्टा विलेख खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का पुराने समय से कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के प्रार्थना–पत्र पर ग्राम पंचायत की आम बैठक में जांच, मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं, लिहाजा निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य हैं।

6. हमने हस्तगत पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत उण्डू से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि का अप्रार्थी स. 2 के आवेदन पर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन किया गया हैं। इस हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्राप्त कर भूखण्ड की मौका निरीक्षण कमेटी से रिपोर्ट प्राप्त की गई हैं तथा बैठक में आलौच्य पट्टा विलेख पुराने कब्जे के नियमितीकरण के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया हैं। प्रार्थी का कथन हैं कि विवादित भूमि पर उनका पुराना कब्जा हैं तथा अप्रार्थी संख्या 2 का धीरजी की ढाणी का मूल निवासी है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के अवलोकन से निगरानी अधीन प्रकरण में प्रार्थी की ओर से इस आशय का कोई उजर–ऐतराज प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता हैं एवं अन्य स्थान मूल निवासी के संबंध में कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किये है। इसके अलावा भी प्रार्थी का आलौच्य पट्टा विलेखित भूखण्ड का स्वामित्व बाबत पुराना पट्टा होना प्रकट किया है, किन्तु यह आलौच्य भूखण्ड से सम्बन्धित हो ऐसा कहीं प्रमाणित नहीं हुआ हैं। आलौच्य पट्टा वर्ष 1998 में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जारी हुआ है, जिसे जारी करने से पूर्व पंचायत की कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण करने पर मौके पर अप्रार्थी का कब्जा होना मानकर पट्टा जारी किया गया है, ऐसे में वर्तमान मौका स्थिति सारभूत नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या 2 को आलौच्य पट्टा जारी करने का आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत उण्डू के समक्ष पेश किया था जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर पंचायत में उपलब्ध कागजात पर लिये जाकर ग्राम पंचायत की मीटिंग में वार्ड पंचों की सर्वसम्मति से आलौच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत के आलौच्य अभिलेख का अवलोकन करने से प्रथमदृष्ट्या किसी प्रकार की अनियमितता प्रकट नहीं होती हैं, निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में उक्त पट्टा विलेख के जारी करने में ऐसी कोई विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया हैं। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा जारी करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि, प्रक्रियात्मक अनियमितता अथवा अपूर्णता परिलक्षित नहीं हो रही हैं। अतः उपर्युक्त ऑब्जर्वेशन के मध्यनजर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:22:47 IST
Reason: SelfAttested